

विद्युत स्टेशन	निगम के स्वामित्व में, पट्टे पर या उनके द्वारा किराये पर लिए गए फिटिंग्स और फिक्स्चर्स सहित सभी भूमि, भवन, क्वार्टर, आउटहाउस और अन्य आवास।
----------------	--

[फा.सं. 01/03/2020-डीवीसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2020

**S.O. 4706(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Energy (Department of Power) number S.O. 4017, dated the 20<sup>th</sup> September, 1983, in so far as it relates to serial number 6 (in the Table therein) and the entries relating thereto in respect of the Tilaiya Hydel Station of Damodar Valley Corporation in the State of Jharkhand (erstwhile Bihar), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

**TABLE**

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Superintending Engineer (C), Tilaiya Hydel Station	All lands, buildings, quarters, outhouses and other accommodation including fittings and fixtures owned or leased or rented by Damodar Valley Corporation within the local limits of its jurisdiction at Tilaiya.

[F. No. 01/03/2020-DVC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2020

**का.आ.4707(अ).**—केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तत्कालीन ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) में भारत सरकार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4017 तारीख 20 सितंबर, 1983 के अधिक्रमण में, जहां तक इसका संबंध क्रम सं. 7 (दी गई सारणी में) तथा झारखंड (पूर्ववर्ती बिहार) राज्य में दामोदर घाटी निगम के कोणार डैम के संबंध में इसकी संबंधित प्रविष्टियों से है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:-